हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/09/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक..6/10/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
06/10/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सम्मन उपस्थित नही। ना ही उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उप० आये। अत: रेस्पोडेन्ट सं 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रा.पत्र आर्डर 41 R 27 CPC पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी। प्रा.पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। अत: प्रा.पत्र व पत्रावली के अवलोकन व वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने के आधार पर प्रा.पत्र आर्डर 41 R 27 CPC स्वीकार कर अपीलांट दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी जाती है। अपीलांटी द्वारा दस्तावेज पूर्व से पेश कर दिया गया है। वास्ते बहस मूल प्रा.पत्र पत्रावली दिनांक 10/10/2025 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
10/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। उभयपक्ष वकील द्वारा प्रा.पत्र दफा- 5 कानून मयाद एवं मूल प्रा.पत्र पर बहस की गयी। हमने उभयपक्ष वकील बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली का उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर अपीलांटी अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अत: अपीलान्ट अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 10/10/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.)बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्या 09 / 2024
प्रकरण दायर दिनांक 04.10.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक 10.10.2025

उनवान

1. सीताराम पुत्र छोटेलाल दत्तक पुत्र मेवाराम जाति नीना निवासी कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. सुक्मा देवी पुत्री मेवा पत्नि छीतरमल जाति मीना निवासी सोर तलाई की ढाणी कुण्डल तहसील कुण्डल जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत कोलवा तहसील बांदीकुई जरिये सरपंच

अपील विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत कोलवा तहसील बांदीकुई दिनांक 07.07.2023 जो नामान्तकरण संख्या 694 ग्राम कोलवा तहसील बांदीकुई पर पारित किया गया है।

प्रकरण निर्णय दिनांक 10.10.2025

अपीलांटी द्वारा जर्ये वकील श्री विनोद कुमार विजय के इस आशय से पेश किया है कि वाके ग्राम कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 76, 77, 78, 79, 80 कुल किता 16 कुल रकबा 3.7900 है० व खसरा नंबर 49, 58, 59, 60, 61 कुल किता 5 कुल रकबा 1.8000 है० के 1/5 हिस्से का खातेदार मेवा पुत्र भौरया जाति मीना निवासी कोलवा था। उक्त मेवा का अपीलान्ट गोद पुत्र है तथा मेवा ने अपीलान्ट को विधिवत गोद लेकर और रजिस्टर्ड गोदनामा अपीलान्ट के पक्ष मे रजिस्टर्ड करवाया है तथा मेवा के साथ मेवा की कृषि भूमि पर अपीलान्ट काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है। मेवा की सेवा चाकरी व रोजी रोटी आदि का सम्पूर्ण इंतजाम अपीलान्ट ने किया है तथा मेवा का देहान्त होने पर मेवा के 12 ब्राहम्ण पिण्ड दान आदि सभी कार्य अपीलान्ट ने किया है तथा मेवाकी पगडी भी अपीलान्ट के बंधी है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के सभी कार्य अपीलान्ट ने ही किये है तथा अपीलान्ट मेवा के साथ ही रहता चला आ रहा था। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 अपने ससुराल में रहती है तथा मेवा की पुत्री है। पटवारी हल्का ने बिना कोई जॉच किये बिना व बिना अपीलान्ट को सूचना दिये बिना व अपीलांट के द्वारा अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण भरकर तस्दीक करने हेतु पटवारी को आवेदन दे देने के बावजूद भी अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना नोटिस दिये बिना फर्जी जॉच रिपोर्ट बनाकर और मेवा की विरासत का नामान्तकरण संख्या 694 ग्राम कोलवा भरकर और ग्राम पंचायत कोलवा में प्रस्तुत कर दिया जिसे ग्राम पंचायत कोलवा ने बिना वारिसान की जॉच किये बिना व बिना मौके पर कब्जे की जॉच किये बिना दिनांक 07.07.2023 को तस्दीक कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी। अतः ग्राम पंचायत कोलवा के नामान्तकरण संख्या

Scanned with OKEN Scanner

एवं नामान्तकरण संख्या 694 ग्राम कोलवा की नकल निकलवायी तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त दोनो नामान्तकरणो की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरणो की कतई जानकारी नही थी जानकारी होते ही वकील नियुक्त कर अपील तैयार करवाकर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है जो जानकारी से अन्दर मयाद है। दफा 5 कानून मयाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से संलग्न है। वैसे भी उक्त आदेश अवैध अमान्य व प्रभावशून्य आदेश है जिसकी अपील करने की कोई मयाद भी तय नहीं है किन्तु फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद श्रीमान के समक्ष पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कोलवा तहसील बांदीकुई जो नामान्तकरण संख्या 694 ग्राम कोलवा पर दिनांक 07.07.2023 को पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करें एवं मृत्तक मेवा की विरासत का नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम भरकर तस्दीक करने का आदेश देने की कृपा करे।

अपीलांटी द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मयाद पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कोलवा दिनांक 7.07.2023 जो नामान्तकरण संख्या 694 ग्राम कोलवा पर पारित किया गया है कि अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी क्योकि उक्त निर्णय अपीलॉन्ट को नोटिस दिये बिना व अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व वारिसान व कब्जे की जॉच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है इसलिये अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी सर्वप्रथम दिनांक 27.09.2024 को अपीलान्ट को थाना कोलवा ने थाने पर बुलवाया तो अपीलान्ट व परिवार के कई लोग थाने पर गये और वहाँ पर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 भी मौजूद थी तो थाने वालो ने कहा कि ग्राम रामपुरा व कोलवा की मेवा के नाम की भूमि का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट नंबर 1 सुक्मा के नाम खुल चुका है आप इसे मेवा के हिस्से की भूमि में खडी काश्त को काटने दो तो अपीलान्ट ने कहा कि उक्त काश्त मेरी बोई हुई है और मै मेवा का गोद पुत्र हूँ और नामान्तकरण कैसे खुलवा लिया तो सुक्मा ने धमकी दी कि मैने पटवारी और सरपंच से मिलकर मेरे नाम अकेले के नाम नामान्तकरण खुलवा लिया है तो थाने वालो ने अपीलान्ट व अन्य परिवार के लोगो के खिलाफ धारा 107 का केस बना दिया व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 को समझाया किन्तु रेस्पोडेन्ट नंबर 1 नहीं समझी तो अपीलान्ट ने दिनांक 29.08.2024 को पटवारी हल्का कोलवा व रामपुरा से जानकारी की तो दोनो पटवारी हल्का ने बताया कि मेवा का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट नंबर के नाम खुल गया है दोनो ही पटवारियों ने नामान्तकरण की नकले ई मित्र से निकलवाने के लिये कहा तो अपीलान्ट ने दिनांक 29.09.2024 को आनलाईन नामान्तकरण संख्या 344 ग्राम रामपुरा एवं नामान्तकरण संख्या 694 ग्राम कोलवा की नकल निकलवायी तब संर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त दोनो नानान्तकरणो की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरणों की कतई जानकारी नहीं थी इसलिये अपील पेश करने में देरी हुई है जिसे श्रीमान द्वारा क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मयाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। वैसे भी उक्त आदेश अवैध अमान्य व प्रभावशून्य आदेश है जिसकी अपील करने की कोई मयाद भी तय नहीं है किन्तु फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद श्रीमान के समक्ष पेश है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मयाद पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मयाद शुमार फरमाने बाबत निवेदन किया

प्रकरण/प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्टगण जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से एड. श्री अमरसिंह गुर्जर ने पावर एवं उज्रात/आपत्ति पेश किया कि अपीलान्ट ने कतई गलत आधारों पर अपने आप को मेवा का

दत्तक पत्र बताते हुए अपील प्रस्तुत की है जो प्रथम दृष्टया ही क्षेत्राधिकार में नहीं होने से अदालत हाजा को अपील का सुनवाई का अधिकार नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट का यह कथन कि मेवा की पगडी अपीलान्ट के बंधी है कतई गलत है। मेवा के मिन रेस्पोडेन्ट एक मात्र वैध प्रतिनिधि एवं उत्तराधिकारी है जिसने अपने पिता के समस्त कियाकर्म, पिण्डदान ब्राह्मण भोज आदि का कार्य किया तथा पगड़ी की रस्म चौकी पर रखी गई। अपीलान्ट को कभी गोद नहीं लिया ना ही गोद की कभी सामाजिक रस्म ही हुई। अपीलान्ट द्वारा तथाकथित गोदनामा बिना रेस्पोडेन्ट की जानकारी के पिता मेवा राम से धोखाधड़ी कर तहरीर कराया होगा। पिता मेवा द्वारा कभी भी अपीलान्ट को गोद लेने बाबत कथन नहीं किया। अपीलान्ट छोटेलाल का पुत्र है तथा अपीलान्ट का समस्त दस्तावेजात में पिता छोटेलाल का ही नाम चला आ रहा है। अपीलान्ट ने मिन रेस्पोडेन्ट की सम्पत्ति को हड़पने के लिये कतई गलत आधारों पर अपील प्रस्तुत की है। जो अपील खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण जांच कर पिता मेवाराम का मिन कर नामान्तकरण खोला गया है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को सदैव से रही है तथा ग्राम पंचायत कोलवा व गादरवाडा गूजरान द्वारा मेवा की मिन रेस्पोडेन्ट एकमात्र वारिस होने से नामान्तकरण खोला गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक व तात्विक त्रुटि नहीं है। अपील का पैरा सं. 01 अस्वीकार है। नामान्तकरण विधिक प्रक्रिया के तहत मेवा की रेस्पोडेन्ट एक मात्र वारिस व उत्तराधिकारी होने से ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण जांच कर खोला गया है। अपील का पैरा सं. 02 कतई गलत है अस्वीकार है। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण जांच कर विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुये तया मेवा की मिन रेस्पोडेन्ट एक मात्र वैध प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी होने से तया भूमि पर मिन रेस्पोडेन्ट का कब्जा होने से नामान्तकरण खोला गया है। अपील का पैरा सं. 03 कतई गलत है स्वीकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर उपस्थित लोगों के बयान लेखबद्ध कर तथा पूर्ण जांच कर मिन रेस्पोडेन्ट के हक में नामान्तकरण खोला गया है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन करने का कथन कतई गलत है। जब अपीलान्ट मेवा का वारिस ही नहीं है ना ही मेवा ने अपीलान्ट को कभी गोद ही लिया। अपीलान्ट का यह कथन कि उसने ग्राम पंचायत को आवेदन किया था कतई गलत है। यदि अपीलान्ट ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन करता तथा ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण अपीलान्ट के हक में नहीं खोलकर मिन रेस्पोडेन्ट के हक में गलत खोला जाता तो अपीलान्ट नामान्तकरण की कार्यवाही के समय से ही आपत्ति अपील प्रस्तुत कर तथा अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की शुरू से ही जानकारी होने से अपील अपीलान्ट प्रथम दृष्टया ही मयाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अपील का पैरा सं. 04 कतई गलत है स्वीकार नहीं है। मेवा का अपीलान्ट गोद पुत्र नहीं है ना ही मेवा की सम्पत्ति पर अपीलान्ट का कोई हक अधिकार है ना ही कोई कब्जा है। मिन रेस्पोडेन्ट मेवा की एकमात्र वैध प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी होने से नामान्तकरण मिन रेस्पोडेन्ट के हक में खोला गया है। अपील का पैरा सं. 05 कतई गलत है स्वीकार नहीं है। मेवा की मिन रेस्पोडेन्ट एकमात्र वैध प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी होने से कानूनन अपने पिता के स्थान पर नामान्तकरण खुलवाने की अधिकारी है तथा रेस्पोडेन्ट ओल्ड हिन्दू कानून से शासित है जिसमें पुत्री अपने पिता की सम्पत्ति प्राप्त करने की अधिकारी है। अपील का पैरा सं. 06 कतई गलत है। वादग्रस्त भूमि शामलाती खातेदारी भूमि है जिसका अभी विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है जिसमें अपीलान्ट अपने पिता छोटेलाल के हिस्से पर काबिज काश्त है। मेवा के हिस्से पर मिन रेस्पोडेन्ट का कब्जा व स्वामित्व होने के कारण नामान्तकरण खोला गया है जिसमें विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज होने योग्य है। अपील का पैरा सं. 07 कतई गलत है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की शुरू से ही जानकारी रही है। स्वयं अपील के पैरा सं. 03 में भी कथन किया

Scanned with OKEN Scanner

है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट के हक में नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। इससे स्पष्ट हैं कि अपील प्रथम दृष्टया ही मयाद बाहर है। अपीलान्ट द्वारा अपने आप को मेवा का दत्तक पुत्र बताकर अपील प्रस्तुत की है। कानूनन सक्षम न्यायालय से दत्तक की घोषणा कराये बिना दत्तक के आधार पर सुनवाई का राजस्व न्यायालय को अधिकार नहीं होने से अपील अपीलान्ट अदालत हाजा को अपील का श्रवणाधिकार नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अपील विधि व तथ्यों के विरूद्ध प्रस्तुत करने से खारिज होने योग्य है। अतः उज्रात अपील प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मयाद एवं मूल प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। रेस्पोडेन्ट वकील ने बहस में कथन किया कि मेवा ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति था अपीलांटी द्वारा दत्तक पुत्र के अन्य दस्तावेजात में मेवा का नाम नहीं है मेवा की विरासत का नामान्तकरण ग्राम पंचायत कोलवा द्वारा जब मेवा के एकमात्र वारिस सुक्मा के नाम हुआ तब अपीलांटी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवायी गयी। ग्राम पंचायत कोलवा द्वारा नियमानुसार विधिक वारिसान की जॉच कर उक्त नामान्तकरण खोला गया है। अपीलान्ट द्वारा अपने आप को मेवा का दत्तक पुत्र बताकर अपील प्रस्तुत की है। कानूनन सक्षम न्यायालय से दत्तक की घोषणा कराये बिना दत्तक के आधार पर सुनवाई का राजस्व न्यायालय को अधिकार नहीं होने से अपील अपीलान्ट अदालत हाजा को अपील का श्रवणाधिकार नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अपील विधि व तथ्यों के विरूद्ध प्रस्तुत करने से खारिज होने योग्य है। अपीलांटी राजस्व न्यायालय को गोदनामा के आधार पर टाइटल तक नहीं कर सकता इस बाबत रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा न्यायिक दृष्टांत पेश किये जो निम्न है— —

1. (2016) RRD 243 RAJASTHAN HIGH COURT(JAIPUR BENCH) SINGLE BENCH CHHOTU AND OTHERS- Appellant Vs. BOARD OF REVENUE AND OTHERS- Respondant s.b. Civil Writ Petition No. 1182 of 2004 .
2. (1985) RajasthanLR 17 : (1985) RRD 99 RAJASTHAN HIGH COURT(JAIPUR BENCH) SINGLE BENCH RAMJI LAL- Appellant Vs. SULTAN AND OTHERS- Respondant s.b. Civil Writ Petition No. 1182 of 2004 .

हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों, एवं रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। अपीलांटी द्वारा प्रार्थना पत्र/ पत्रावली में दत्तक पुत्र के अन्य दस्तावेज जिसमे (आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि) पिता का नाम मेवा दर्ज हो पेश नहीं किया गया है। ना ही अपीलांटी द्वारा उक्त नामान्तकरण के खिलाफ ग्राम पंचायत कोलवा में किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराये जाने बाबत कोई दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अपीलांट को उक्त नामान्तकरण की इतनी समयावधि तक जानकारी नहीं होना भी आधारहीन प्रतीत होता है ग्राम पंचायत कोलवा द्वारा नियमानुसार विधिक वारिसान की जॉच कर नामान्तकरण दर्ज किया गया है जो विधि संगत प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 10.10.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

10/10/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई